



कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)



मुख्यालय/HEADQUARTERS
पंचदीप भवन, सीआईजी मार्ग, नई दिल्ली-110002
Panchdeep Bhawan, CIG Marg, N.D.- 02
Phone: 011-23215489, VOIP: 10011074
Email: med6-hq@esic.nic.in
Website: www.esic.gov.in

F. No. A-11012/2/2025-MED-VI (Comp. No.1081898)

Date: 27.01.2026

Office Order No. 16 of 2026

सक्षम प्राधिकारी ने निम्नलिखित नव-अनुमोदित ईएसआईसी मेडिकल कॉलेजों में तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित चिकित्सा अधिकारियों को डीन-इन-चार्ज के रूप में नियुक्त करने का आदेश दिया है:

The Competent Authority has ordered posting of the following medical officers as Dean-In charge with immediate effect in following newly approved ESIC Medical Colleges:

S. No. / क्रम सं.	Name of Faculty / संकाय का नाम	Employee ID / कर्मचारी आईडी	Present Location / वर्तमान स्थान	Ordered Place of Posting/ आदेशित स्थान
1.	Dr Pradeep Gaikwad, Director Professor	120981	ESIC MCH Sanathnagar	Bibvewadi-Pune, Maharashtra
2.	Dr. Vaishali Ramchandra Ghane, Director Professor	146544	ESIC MCH Andheri	Margaon, Goa
3.	Dr. Satish Bellagatti, Professor	164622	ESIC MCH Gulbarga	Chandrasekharpur-Andharua / Bhubaneswar, Odisha
4.	Dr Pushpalatha K, Director Professor	122209	ESIC MCH K.K Nagar	Kollam, Kerala
5.	Dr Binti Ramlal Bhatiyani, Director Professor	146404	ESIC MCH, Andheri	Surat, Gujarat

उपर्युक्त सभी चिकित्सा अधिकारियों को उनके संबंधित पोस्टिंग स्थानों से मुक्त किया जाता है और वे जॉइनिंग टाइम का लाभ लिए बिना तत्काल अपने आदेशित पोस्टिंग स्थानों पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। हालांकि, चूंकि पोस्टिंग आदेश जनहित में जारी किया गया है, इसलिए वे आदेशित पोस्टिंग स्थानों पर कार्यभार ग्रहण करने के बाद जॉइनिंग टाइम का लाभ उठा सकते हैं या नियमों के अनुसार स्वीकार्य जॉइनिंग टाइम को अर्जित अवकाश में परिवर्तित करने का विकल्प चुन सकते हैं। कार्यभार रिपोर्ट सभी संबंधितों को उचित समय पर भेजी जाए और इसकी एक प्रति med6-hq@esic.gov.in पर भी भेजी जाए।

नियमित डीन की नियुक्ति के बाद, उपर्युक्त चिकित्सा अधिकारियों की पोस्टिंग संगठनात्मक आवश्यकताओं के अनुसार तय की जाएगी।

ईएसआईसी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों के नियंत्रक प्राधिकारी, जहां उपर्युक्त चिकित्सा अधिकारी तैनात हैं, अपने-अपने स्थानों पर चल रहे स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के सुचारु संचालन को सुनिश्चित करने के लिए संविदात्मक संकाय नियुक्त कर सकते हैं।

यह सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से जारी किया गया है।

All the above-mentioned medical officers shall stand relieved from their respective place of posting and shall join at their ordered place of posting immediately, without availing the joining time. However, as the posting order has been issued in public interest, they can avail the benefit of joining time after joining at the ordered place of posting or will have the option to convert the admissible joining time into Earned Leave as per rules. Charge report may be sent to all concerned in due course with a copy to med6-hq@esic.gov.in.

After the appointment of regular Deans, the posting of above-mentioned medical officers will be decided as per organisational requirements.

Controlling authorities of the ESIC Medical Colleges & Hospitals where the above-mentioned medical officers are posted, may engage the contractual faculties to ensure the smooth functioning of UG and PG courses ongoing at their respective locations.

This issues with the approval of Competent Authority.

संयुक्त निदेशक
चिकित्सा प्रशासन VI

प्रति/ To :

1. संबंधित चिकित्सा अधिकारी,
अपने नियंत्रण अधिकारी के माध्यम से।
The Concerned Medical Officer, through his/her Controlling Officer.
2. समस्त बीमा आयुक्त / चिकित्सा आयुक्त,
ई.एस.आई.सी. मुख्यालय।
All Insurance Commissioners / Medical Commissioners, ESIC Headquarters.
3. समस्त क्षेत्रीय बीमा आयुक्त / क्षेत्रीय चिकित्सा आयुक्त,
ई.एस.आई.सी.
All Zonal Insurance Commissioners / Zonal Medical Commissioners, ESIC.
4. समस्त क्षेत्रीय निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय /
संयुक्त निदेशक (प्रभारी), उप-क्षेत्रीय कार्यालय।
All Regional Directors, Regional Offices / Joint Directors In-charge, Sub-Regional Offices.
5. डीन / चिकित्सा अधीक्षक / उप चिकित्सा अधीक्षक / सहायक चिकित्सा अधीक्षक / डी.डी.एफ.,
संबंधित ई.एस.आई.सी. चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल।
Dean / Medical Superintendent / Deputy Medical Superintendent / Assistant Medical Superintendent / DDF of concerned ESIC Medical Colleges & Hospitals.

6. निदेशालय (चिकित्सा), दिल्ली / निदेशालय (चिकित्सा), नोएडा।
Directorate (Medical), Delhi / Directorate (Medical), Noida.
7. ई.एस.आई.सी. मुख्यालय के समस्त प्रभाग।
All Divisions at ESIC Headquarters.
8. चिकित्सा शाखा-IV / चिकित्सा (शिक्षा) शाखा,
ई.एस.आई.सी. मुख्यालय।
Medical Branch-IV / Medical (Education) Branch, ESIC Headquarters.
9. वेबसाइट कंटेंट प्रबंधक,
ई.एस.आई.सी. मुख्यालय — ई.एस.आई.सी. मुख्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
Website Content Manager, ESIC Headquarters — for uploading on the ESIC Headquarters website.